(1)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल

PBR/अपील/होशंगाबाद/भू.रा./2017/2544

जसमन सिंह पठारिया आ. श्री बारेलाल पठारिया
ग्राम कोटवार ग्राम बोढनाठाकुर तहसील पिपरिया
जिला होशंगाबाद (म.प्र.)..................................अपीलार्थी

बनाम

मध्यप्रदेश शासन..उत्तरवादी

<u>अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र.भू.रा.संहिता</u>

उपरोक्त अपील अपीलार्थी न्यायालय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 02अ19(1) वर्ष 2009-10 जसमन सिंह विरूद्ध शासन एवं न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा रा. प्र.क.283/अपील/2013-14 आदेश दिनाँक 16.03.2017 से विपरीत प्रभावित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह अपील प्रस्तुत करता है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/होशंगाबाद/भूरा/2017/2544

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-18	अपीलार्थी अधिवक्ता श्री संदीप दुबे द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-3-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में अपील 3 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन व तर्को में निम्न न्यायालय द्वारा आदेश की जानकारी नहीं देना बताया है तथा अपीलार्थी को विधि का ज्ञान नहीं होना बताया है जो कि समाधानकारक कारण नहीं माना जा सकता है क्योंकि अपीलार्थी को स्वयं आदेश की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय से लेना चाहिये थी । अतः प्रथमदृष्टया यह अपील समय बाह्य होने के कारण अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	